

so much funds are available in the Fund. That factor can be taken into consideration for reducing the levy price, when it is considered.

MR. CHAIRMAN: The Minister has said what he has got to say. It may be satisfactory; it may not be satisfactory.

The question is:

"That the Bill to provide for the establishment, in the interest of the general public, of a fund to ensure that the price of levy sugar may be uniform throughout India and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clauses.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Regarding clause 6 in the name of Dr. Saradish Roy, there is an amendment. This amendment has to get the President's sanction. The President's sanction and the recommendations have not been received. Therefore, this amendment cannot be moved. The result is that there is no amendment.

The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 16 were added to the Bill.

The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause (j) was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. CHAIRMAN: There is an amendment in the name of the Minister.

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for "Twenty-sixth" substitute—

"Twenty-seventh" (1)

(Shri Shah Nawaz Khan)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.31 hrs.

DISCUSSION RE. SUGARCANE PRICE

MR. CHAIRMAN: We now pass on to the next item, Discussion under Rule 193. I now call Shri N. N. Pandey to raise a discussion on the sugarcane price.

श्री धरम सिंह बाराबंका बांड (बीरछपुर) सभापति, महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस सदन को यह चीका दिया कि यह चीनी की नीति और गन्ने के दाम के बारे में विचार किये। चीनी हमारे देश की सबसे बड़ी एगो-बेस्ट इवस्टी है। हमारे देश में गन्ने की उपज की वजह से चीनी मिलें तथा सरकार द्वारा बुनिया में चीनी के व्यापार में अपना एक स्थान रखती हैं। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए चीका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ।

गन्ने के दाम का सवाल सारे देश में 1931 से एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस देश में गन्ना किसान गन्ने की उपज करते थे और उसको कोल्हियों में घेर पर गुड़ तैयार करते थे। उससे वे लोग अपना जीवन-यापन करते थे और देश के करोड़ों लोगों को गुड़ खिलाते थे। 1932 में पहली बार सरकार ने गन्ने के दाम को नियंत्रित करने और चीनी की मिलों को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बनाया, और 1933 में पहली बार गन्ने का दाम तय किया गया। उसके बाद 1933 व 1934 में प्रान्तीय सरकारों ने गन्ने के दाम को तय करने के लिए गन्ना किसानों के नुमायन्दों को बुलाया और मिनिमम केन प्राइस तय की और केन एक्ट पास किया। 1937 और 1938 में केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० और बिहार की सरकारों को यह शक्ति दी कि वे कानून बना कर गन्ने के मिनिमम दाम तय करें। 1942 से 1948 तक केन्द्रीय सरकार ने गन्ने पर बंध नियंत्रण रखा और फिर 1950 में गन्ने की स्टेबुल-प्रीस मिनिमम प्राइस तय करने के लिए टैरिफ बोर्ड ने कानून कि

गन्ने के दाम तय करने के दाम को इसमें जोड़ दिया जाय कि उचित दाम तय करे। यह दाम बंध हुआ नहीं होना चाहिये।

इसके बाद बहुतों तो कमेटीयों बनीं। उन कमेटीयों का विवरण देकर मैं इस सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। उन कमेटीयों का काम चीनी मिलों को प्रोटेक्शन देना और गन्ने के दाम को तय करना था। इस बीच में दो बातें बड़ी-सफ मजूर आईं। विविध फारमूला बना। उसके बाद रिपब्लिक की सिस पर केन्द्रीय सरकार ने तय किया कि गन्ने का दाम तय किया जाय। यह गन्ने का दाम तय करने का जो सिलसिला है इसमें हमने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें कुछ लिखा हो कि गन्ने के डेवलपमेंट के लिए गन्ने का दाम तय करने के लिए क्या नीति प्रस्तुत की गई। केन्द्रीय सरकार के द्वारा या प्रान्तीय सरकार के द्वारा, यह हमें किसी रिपोर्ट में पढ़ने को नहीं मिला। मार्गव कमीशन ने भी जो रिपोर्ट दी जो सब से रिसेंट रिपोर्ट है उसमें भी गन्ने के दाम के बारे में क्या नीति निर्दिष्ट की जाय इसके बारे में उन्होंने कोई तो बंध नहीं दी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के करोड़ों किसान जो गन्ना बोते हैं जिस पर बंध रखा गया है, बीज डालते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद खाद देते हैं, पानी देते हैं, उस गन्ने का न्यूनतम मूल्य भी उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। आज इस सदन को और सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर किसान जो गन्ना पैदा करता है क्या उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा? क्या जो पैसा पैदा करता है उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा? किसान नुकसान करते हैं उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलेगा? सरकार के कहने के अनुसार चीनी सरकार की नीतियों का परिपालन करने के लिए गन्ने का उत्पाद पैदावार करता है उसको

उपरं अगर उपरको मुनाखिव दाम नहीं मिले तो उत्पादन का क्या हाल होगा ?

मैं अपने एक क्षेत्र में जहां दो चीनी मिलें हैं एक सभा में गया था। वहां के हमारे किसान जो कि उर्दू जानने वाले हैं उन्होंने मेरा स्वागत किया, बड़ी भारी सभा हुई और उन्होंने इकबाल का एक शेर पढ़ा। मैं उस शेर को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि आप यह समझें कि आज किसान के दिल में, उत्तर प्रदेश और बिहार के तथा सारे हिन्दुस्तान के गन्ना पैदा करने वाले किसान के दिल में क्या है ? उनकी भावना के साथ किस तरह से आज हम और आप शिरकत करते हैं। यह शेर बड़ा मौजूद है। लेकिन यह सही बात है कि आज उत्पादन का युग है, अनुशासन का युग है, आपातकालीन स्थिति है, हम आज किसान को कुछ कह नहीं सकते। वह शेर इन प्रकार है :

जिस खेत के दहका को मयस्सर न हो रोटी।

उस खेत के हर खोशाओ गन्दुम को जला दो ॥

मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है ? यह एग्रीकल्चरल प्राइस कमिशन को रिपोर्ट हमारे सामने है। 75-76 सीजन में गन्ने का दाम तय करने के सिलसिले में कि मिनिमम केन प्राइस क्या हो, स्टेच्यूटरी प्राइस क्या हो, इतने के लिए कहा गया है कि पिछले साल जो गन्ने का दाम हो उससे एक हाथा ज्यादा स्टेच्यूटरी प्राइस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में साढ़े चौदरह रुपया गन्ने के किसान को दिया जायगा, पूरब में, साढ़े तेरह रुपया दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने यह सिद्धान्त कबूल कर लिया कि हम रिकवरी के बेसिस पर गन्ने का दाम तय करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह तय किया जा रहा है। आज माननीय मंत्री जी मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूं, पूरब की रिकवरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रही है। साढ़े नौ और पौने दस की हो रही है। उनका एवरेज पौने पस पड़ता है।

पश्चिम वालों की और मध्य वालों की पूरब से कम हो गई। वह इसलिए कि किसानों ने वहां पर हाई इलिडग वेराइटी का सीड लगाया, व गन्ने की फसल को ज्यादा पैदावार दी, उनका शुक्रोज बढ़ाया, मौसम का और तमाम चीजों का खयाल रखा। लेकिन उन किसानों का दाम सवा बारह रुपये तय हुआ है और पश्चिम में सवा तेरह रुपये दाम तय हुआ है। पंजाब की सरकार ने 14 रुपये 35 पैसे अपने यहां गन्ने का दाम तय किया है। वहां साढ़े आठ और पौने नौ की रिकवरी है। उस पर 14 रुपये 35 पैसे दाम तय किया गया है और हरथाने में क्या रिकवरी है ? चन्द मिलें चलती हैं, उनकी रिकवरी आज क्या है ? पौने 9 की रिकवरी है। दक्खिनी हिन्दुस्तान की सभी मित्रों में, जो हमारे कोआपरेटिव सेक्टर के लोग हैं, जो मिल भी चलाते हैं, उत्पादन भी करते हैं उनकी रिकवरी 10 के करीब पड़ती है। और आज वहां पर गन्ने का दाम क्या है ? गुजरात में किसानों को गन्ने का दाम क्या मिलता है ? मिनिमम केन प्राइस 14 रुपए क्वींथल से कम नहीं मिलती है किसी फैक्टरी में। आज 18 रुपए व 22 रुपए तक दाम मिलता है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी एकोनामिक्स है जिसको तहत आज सवा 12 रुपए और सवा 13 रुपए उत्तर प्रदेश में और बिहार में गन्ने का दाम तय किया गया है ? यह एकोनामिक्स मेरी समझ में नहीं आई।

मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं कि बिजली का दाम कितना बढ़ा, खाद का दाम कितना बढ़ा और पानी का दाम कितना बढ़ा। इसके कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1-1-1973 को डीजल प्रायज का दाम 708.47 के एल था जोकि 1-12-1975 को बढ़कर 1094.89 के एल हो गया। यह उस डीजल के दाम बढ़ गए जिसके द्वारा हम अपना पंपिंग सेट चलाते हैं और गन्ने की सिंचाई करते हैं। हमारे पास इरोबेशन के भी दाम हैं, कैनाल से जो इरी-गेशन होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं

[श्रीगणेश नारायण पांडे]

पंजाब में इरीगेशन के धंधे रेटे हैं। पंजाब में फी हेक्टर दामे जो पड़ता है वह 66 70 से लेकर 82 30 तक होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1971 में जो 39 60 था वह आज बढ़कर 148 रुपए हो गया है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सी फीगर्न हैं, आंध्र की और दूसरी जगहों की हैं लेकिन मैं उनको बताने के समय का समय नष्ट नहीं करना चाहता। आंध्र में जो इरीगेशन कैनल से होती है उसका रेट 22 50 रुपए प्रति एकड़ पड़ता है। बिहार में 18 से 28 रुपए पड़ता है। हरियाणा में 13 50 से 16 50 पड़ता है। महाराष्ट्र में 120 से 180 पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में 10 से 40 रुपए पड़ता है। पंजाब में 13 50 से 16 65 पड़ता है। यह आपके ध्यान में होना चाहिए जोकि पानी के सम्बन्ध में है।

इसके बाद आप खाद के भाकड़ ले। मुरिया जिले में 46 परसेंट नाइट्रोजन है वह 1971 से 923 रुपए पर टन थी जोकि 1-6-1974 को दो हजार रुपए पर टन हो गई। इसी प्रकार से कैलिसियम अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 26 परसेंट नाइट्रोजन है उसका दाम 575 से बढ़कर 1145 रुपए हो गया। 25 परसेंट नाइट्रोजन जिसमें है उसका 1971 में जो दाम 545 रुपए था वह बढ़कर 1095 हो गया। इस प्रकार से फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं।

श्रीमान, मेरे पास जो बातें ISMA के मुम्बई न्यूरो डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग में कही थी उद्धृत कर रहा हूँ। इसको प्रोसीडिंग में मेरे पास है। जो शुगर मनेजेंट्स हैं, जो मिल मालिक हैं उन्होंने पिछले साल कहा था :

"The National Federation of Co-operative Sugar Factories called upon the industry and the Government to spare no efforts in achieving the

target of forty-five lakh tonnes of sugar production in the year 1974-75"

इसके लिए, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा

"The Council discussed at length the sugar and sugarcane policy for the season 1974-75. The Indian Sugar Mills Association urged the Government to fix a remunerative price for sugarcane and recommended a price of about Rs 12 50 per quintal of cane"

यह शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है उसने पार साल जो कहा वह मैं आपने सामने रखना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल गन्ने का दाम कम से कम 12 50 होना चाहिए था और इस साल ता जैसा मैंने अग्रज किया मारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं।

एग्जीक्यूटिव प्राइस कमीशन कहता है— पिछले साल के मुकाबले एक रुपया गन्ने का दाम में बढ़ोत्तरी होती है। अगर इस स्टेटिस्टिक्स को सही माने तो आज 14 रुपये 50 पैसे का भाव हम को मिलना चाहिये। लेकिन पिछले साल हम को यह भी कहा गया था कि अगर फ्री मार्केट में शुगर प्राइस 400 रुपये क्विंटल होनी तो 14 रुपये 50 पैसे मिनिमम शुगर केन प्राइस देंगे। आज बाजार में फ्री शुगर का भाव क्या है? 450 रुपये क्विंटल का भाव रिटेल में है और थोक में 400 रुपये से 425 रुपये है। तब फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा जस्टिफिकेशन है जिसके आधार पर हम को यह भाव दिया गया। आज पानी का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, फर्टिलाइजर का दाम बढ़ गया—यह ठीक है कि अगर उस का दाम कुछ बढ़ा है, लेकिन पिछले साल की फसल पर यह लागू नहीं होता है—सब चीजों के दाम

बढ़ाये। इण्डियन शुगर मिल एसोसिएशन से अपनी मीटिंग से कुछ-का कि, इन्हें 14 रुपये प्रचलक पैसे, भ्रम तब होगा जब हम को श्री मन्केट ने शुगर का दाम 4.90 रुपया मिले। आज वे चार सी रुपये से साढ़ आर छी रुपये का भाव पा रहे हैं, इसके प्रलाभा उन को बहुत सारी रिलीफ दी जा रही है—मैं उन तमाम रिलीफो को प्रलग से गिनाऊंगा जो पिछले पांच छ सालों से इन शुगर मैनगट्स को दी गई है, अगर उन को टोटल करे तो 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। तब फिर मैं पूछना चाहता हूँ—वह कौन सी इकानामिक्स है, कौन सी स्टेटिस्टिक्स है, कौन सी पोल्सिटिक्स है, जिस के बल पर आज गन्ने का दाम सवा बारह रुपये से सवा तेरह रुपये अधिपत किया गया है।

श्रीमन्, पिछले 7 दिसम्बर को माननीय श्री मन्त्री जी और मिलमालिकों तथा हम सब लोगों की मीटिंग लखनऊ में हुई थी उस में मिल मालिकों ने इस बात को मान लिया था कि गन्ने का भाव साढ़े चौदह रुपये सही है, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि क्रेडिट स्क्वीज पालिसी को ठीक किया जाय, लेवी शुगर प्राइस को बढ़ाया जाय। लेवी शुगर प्राइस पर तो अभी आऊंगा—लेकिन क्या आप जानते हैं कि कास्ट कैसे कैलकुलेट होती है, लेवी शुगर प्राइस का कास्ट फिक्सेशन कैसे होता है। मेरे पास रिपोर्ट है—आप देखें—गवर्नमेंट ने पास किया था कि जब इण्डस्ट्री में मुनाफा नहीं है तो 8 13 परसेंट का जो बोनस है वह इन्कलूड नहीं किया जायगा या दिया नहीं जायेगा, लेकिन जब हमारे यहाँ लेवी शुगर की कास्ट निकाली गई तो उस में इस 8 13 परसेंट के बोनस को भी जोड़ दिया गया है। उन एक्सपर्ट्स ने टैरिफ कमीशन के मुनाबिक दाम तय किया मेरे पास टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट है—मैं उस में से उद्धृत करना चाहता हूँ—एक्चुअल कास्ट ग्रॉस प्रोडक्शन निकालने के लिये उस में बस-आरह बातों की तरफ तम्बजह

दिलाई गई है—यह बस-आरह बातें कास्ट तय करने के लिये जरूरी हैं जिसे मैं आपकी 8.13 परसेंट की बोनस की रकम को भी इन्कलूड किया गया है। और वह लेवी का 8.13 बोनस को शामिल कर जो भाव आता है मैं जानना चाहता हूँ मन्त्री जी के पास इस का कौन सा जबाब है। टैरिफ कमीशन ने किस आधार पर इस चीज को कैलकुलेट किया है। यह तो हुआ कास्ट के बारे में। कृपया Price Policy on Sugarcane for 1975-76 का पेज 122 पर देखें। कास्ट किस तरह से की गई है। सिर्फ उसी के कास्ट का सवाल नहीं है, और जो जिसलैनिंग्स बाते रखी गई हैं डेप्रीशियेशन से या रिजर्व में, केन ट्रांसपोर्ट चार्ज, सीलिंग, इन्पैक्शन आदि इस पर भी टैरिफ कमीशन ने अपनी राय दी है। मैंने कैलकुलेट किया है कि 23 से लेकर 25 परसेंट जो कास्ट रखी गई है लेवी की शुगर कास्ट के ऊपर यह अधिक कास्ट है और यह किसी भी तरीके से लेवी शुगर प्राइस को तय करने के समय नहीं लेना चाहिये। इसलिये मैं कहता हूँ कि आज जो यह कास्ट रखी गई है इस का मतलब यह होता है कि लेवी शुगर प्राइस भी वो आज तय की गई है यह एक यूनिकार्म प्राइस नहीं है। अभी मन्त्री जी "इक्वैलाइजेशन फंड" विन साये थे जिस के मुताबिक 40 करोड़ रु० आयेगा। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट में मिल मालिकान गये और बहा पर उन्हीं ने कहा कि लेवी शुगर प्राइस जो तय की गई है यह एप्रोप्रिएट नहीं है। यह ज्यादा है और हमारी रिकवरी ठीक नहीं है, हमारी मैनुफैक्चरिंग कोस्ट ज्यादा है। कुल ही मिल मालिक कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि लेवी शुगर प्राइस ठीक नहीं तय की गई है। और यह ज्यादा तय की गई है। इस के बेसिस पर 40 करोड़ रु० उन मिल मालिकों में जा कोर्ट में गये उन की चीनी के ऊपर आपने निकाल लिया। लेकिन और जो 238 चीनी मिलों के मालिक हैं उन का पैसा कहा गया? वह यूटिलाइजेशन

किसका है 36 परसेंट में से एक परसेंट भी ध्यान देने योग्य करें। इससे इनके बचत कटेज होती थी और पेट्रोल बिल का धाप पैमेंट कर सकते थे। चीनी की दुनिया के दूसरे बाजारों में से खान करके फारेन एक्सचेंज धाप धर्म कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद मिल सकती है, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है और मैंने यह भी कहा था कि एक मिलियन टन प्रॉजर धाप पेट्रोल का धायात करते हैं और उसके बदले में एक मिलियन टन प्रॉजर का निर्यात करते हैं तो पेट्रोल बिल का पैमेंट धापका उसी से हो जायगा। मैं खानना चाहता हूँ कि क्या धापने इस पर विचार किया है और किया है तो किम निष्कर्ष पर धाप पहुंचे हैं। 1930 से ले कर आज 1976 तक मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी चीनी मिलों ने एक परसेंट भी बोन डिबेलेपमेंट पर खर्च किया है। किसान स्वयं धपना केन डिबेलेप कर रहा है, किसान स्वयं धपनी थोड़ी सी खमीन में गन्ना पैदा कर रहा है। हमारे प्रदेश में हाहाकार मची हुई है। मेरे क्षेत्र में चार चीनी मिलें हैं। मैं जब धपने क्षेत्र में जाता हूँ तो सब से पहले धपन किली का मुझे खानना करना पड़ता है तो गन्ना किमान का करना पड़ता है और इकबाल का जो मैंने धापका मुनाया है, यह उम के बिल्कुल उपयुक्त है। मधी जी बैठे हुए हैं। बाहर मुझ से कहने है कि तुम सैट परसेट ठीक बान करने हो। ये सही हैं, उनकी मजबूरिया हो सकती है, मैं मानता हूँ। हम धापम में लड़ने भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ने हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉजर गन्ने तथा चीनी के उत्पादन को बढ़ाना है तो हम को कोई इन्फार्म नीति गूड, खडमारी और चीनी के बारे में जाननी बनानी पड़ेगी।

भारंग कमीशन की रिपोर्ट आज तक बन्द है, उस पर धमक नहीं किया गया है। हमसे कहा गया कि धमी नेमलाइजेशन के बारे

में बात न करो। हमारी प्रॉजर मधी ने कहा, हम उनकी इज्जत करते हैं, वह हमारी प्रॉजर है, वह धर्मिक स्थिति को जानती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि प्रॉजर जिस स्थिति में हम खड़े हो गये हैं, उसमें हमारा इमोशन उन गन्ना किसानों के साथ हो गया है। वह हमारी स्थिति से धाते हैं और कहते हैं कि हमारे गन्ने का दाम बाकी है। धमी खाननीय मंत्री ने दिसम्बर तक के धापके दिये कि कितने करोड़ रुपया गन्ने का धपका है।

मेरे पास 37 मिलों के धापके हैं कि 1959-60 और 1960-61 में प्रॉफिट प्रेर्यांग पानिसी को लागू न करने की बजह से उन पर कितना रुपया बाकी है। 21 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के कृषि मधी श्री वीरेन्द्र वर्मा ने उन धापको को पेश किया है उनको मैं यहा पेश कर के सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ।

आज किसान की क्या हालत है? क्या धापने दुनिया के किसी भी मुल्क में यह देखा है कि जो किसान गन्ना पैदा करता है उसको यह कहा जाता है कि इनी रिजर्व एरिये में हम मिल को माल बेचना है। हमारे ऊपर पाबन्दो है कि हम धपने गन्ने को एक क्षेत्र के बाहर नहीं ले जा सकते हैं और हमें एक ही चीनी मिल को देने के लिये बाध्य किया जाता है। हम उनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। हमको बाध्य किया जाना है कि गन्ने के दाम तय होने पर हम धपना गन्ना उन मिलों में ले जायें। धब इस साल 30 दिसम्बर को दाम तय हुआ और पिछले साल 7 दिसम्बर को तय हुआ था। चीनी मिलें तक तक नहीं चलती हैं, जब तक गन्ने का दाम स्थीज पानिसी, सेवी शुगर पानिसी या

[श्री नरसिंह नारायण पांडे]

उनको बैंकों से जो कुछ मिलना है, वे उसके बारे में सरकार पर कौकी बर्बाद न हो लें और अपनी गंतव्य पूरा न कर लें। अब चिन्तना शुरू हो गया है कि अब तो बड़ा बाटा हो गया है, गन्ने का भाव सबा 12 रुपये और सबा 13 रुपये तक ही गया है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मानिए ए प्वाइन्ट आफ़ ऑर्डर।

जिस विषय पर श्री पांडे भाषण कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि वह उसके विशेषज्ञ हैं और उनके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि दाम निर्धारित हो किसका—उस चीज का जिसका उत्पादन हो। आज हमारे देश में गन्ने की ऐसी स्थिति हो गई है, मिल मालिकों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उसका उत्पादन ही बन्द हो गया है। जो भी उत्पादन हुआ है, उसका पेंमेंट नहीं हुआ है। इसका उदाहरण मैं अपने क्षेत्र की शुगर मिल के बारे में बताता हूँ जिसे मैंने जमेंट ने बन्द कर दिया है, हजारों आदमी बेरोजगार हो गये हैं... (ब्यवधान)।

MR. CHAIRMAN: There is no point of order.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : मैंने अभी बताया कि आज गन्ना ही एक ऐसी चीज है, जिसका पैसा नहीं दिया जाता है। 15 दिसम्बर, 1975 को मेरे ही एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि 22.74 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों पर बाकी है।

पिछली बार भी इस सदन में गन्ने पर बहस हुई थी तो बताया गया था कि सारे देश में मिल मालिकों पर कितना पैसा बाकी है। हमारे पास जो लोग आते हैं, वे कहते हैं कि अब की बार करोड़ों रुपया बाकी होगा, हम

कोले को हाथ में नहीं है, क्योंकि पहले ही सारा पैसा 12 रुपये और सबा 13 रुपये तक कर दिया गया है।

इलीमिने धार्मिक कमीशन ने कहा था कि जब कंप्यूटर प्रान्त-कम इन्ट्रस्ट बन्ना हो तो उस समय सरकार को चीनी मिल को अपने प्राधिकरण में कर लेना चाहिये। इस समय चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, मजदूरों का स्थानान्तरण होने के लिये उसे एक्सपोर्ट करने के लिये आज यह समय था गया है। मैं आपके और माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव मंत्री से निवेदन करूँगा कि अब कोई इकनामिक्स नहीं रह गई है, अब कोई सोचने सम्माने की बात नहीं रह गई है कि इसका अधिकार प्रहारा किना जाये। तभी गन्ना किसानों का आशुला तय होगा, अन्यथा यह मामला तय होने वाला नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिकवरी ज्यादा है। जब सरकार ने लिफ्ट और रिकवरी के फार्मूले को माना है, तो उसने जो दाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तय किये हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दामों को कम-से-कम उनके बराबर लाना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश को और से यह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि वे इस पर विचार करेंगे और इस बारे में अपनी कोई निश्चित नीति बतावेंगे।

SHRI H. M. PATEL (Dhandhuka): Mr. Chairman, Sir, I would like to begin by congratulating Mr. Pandey who has just finished his speech for his mastery over the subject on which he spoke so admirably and I am also in entire agreement with what he had to say. He did not however go into the question of cooperative mills/factories run by the cooperative societies. What is the position of the farmers there? A discriminatory policy

which is being followed by Government in fixing the price of levy sugar. As you know, Sir, 65 per cent of the production of factories is to be surrendered to government as levy sugar and 35 per cent can be sold by them in the open market. One would have imagined that levy sugar prices would be fixed on the basis of something that is clearly recognisable; something with which everybody would agree gives a fair price. It is not clear on what basis the levy sugar price is fixed. Is it fixed on the basis of cost of production of sugar? Sugarcane prices are closely linked with the price of sugar. You will see that in the case of factories run by cooperative societies they pay for the sugarcane a reasonable price to the growers, a price to which they are entitled to unlike what happens in other areas where even this does not happen. Now, as I said, the discrimination is exercised in fixing the levy price of sugar will be clear from the figures which I shall just read out to you. In the case of Gujarat, in 1972, the price was Rs. 150/-; in 1973 the price fell to Rs. 145/-; during 1974 and 1975, the price rose to Rs. 151, and now the present price is Rs. 124/-. For the same period, you will see, for instance, in South Bihar, in 1972 the price of sugar was Rs. 150/- which was same as for Gujarat. To-day, it is Rs. 442/-. In North Bihar where, in 1972, it was only Rs. 150, it is Rs. 224/- to-day; in Central U.P., for instance, the price was Rs. 150 in 1972 and to-day it is Rs. 172/-; in Rajasthan again, in 1972, the price was Rs. 150 but to-day it is Rs. 195/-, in Andhra Pradesh, it was Rs. 150 in 1972 but it is Rs. 118 to-day. It is difficult to understand what justification there can be for such an extra-ordinarily wide variation. If Rs. 150 was a reasonable price in 1972 everywhere, on what ground, can they justify today that the cost of production in the different zones has varied so widely? The prices of inputs to which the hon. member Shri Paundey referred have gone up steeply. And you might say that everywhere the price of every single item of input has

gone up to a more or less similar extent

What there can be the justification for these extremely wide variations? Take the co-operative factories. The hon. Minister must be aware—I am speaking only for Gujarat—that in Gujarat there is one factory which has today an accumulated loss of Rs. 167 lakhs and its capital of Rs. 120 odd lakhs is entirely wiped out by this accumulated loss. Today the price you have fixed for levy sugar is so low that even allowing for the profits which they will be able to make on the 35 per cent of the production in free market, they will be losing something like Rs. 40 per quintal, which means that their accumulated loss will go up further and they will cease to exist. There the growers will suffer not as growers but as investors who have put their money into this co-operative factory. I do not wish to dwell more on this point.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: What price are they paying to the growers?

SHRI D. D. DESAI (Kaira): Fourteen rupees.

SHRI H. M. PATEL: They are required to pay whatever they have agreed to pay and they are paying it. The difference between UP and Bihar here is that in UP and Bihar, the grower does not get the price to which he is entitled on the basis of the levy price, whereas in Gujarat they do get it.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Saugli): In the co-operative sector.

SHRI H. M. PATEL: In Gujarat and Andhra Pradesh it is exactly the same position; so also in the case of Maharashtra.

The point I would like to emphasise is this, that Government should at least ensure that there is no discrimination in the fixation of price of levy sugar. Why should there be any variation? Let Government justify it. It seems to me impossible for you

(Disc.)

(Disc.)

[Shri H. M. Patel]

to justify this variation. For instance, if a year ago, it was right that the price in South Bihar should be Rs. 183 and in North Bihar Rs. 170, why should the price this year be raised for South Bihar to Rs. 442 and to North Bihar only to Rs. 224. There must be some explanation for so large a variation of Rs. 200.

Leave aside other areas. Take, for instance, Karnataka. Where again last year, the levy sugar price was Rs. 160. This year it is Rs. 140. What are the causes which justify a lowering of the price this year? Are the factories in these zone like Karnataka and others really making money and something has improved this year as compared to last year? The reduction in price is, in any case, difficult to justify, anywhere; in certain cases, the lowered price has come down to a level which is totally uneconomic. The whole case has been very exhaustively dealt with by Shri Pandey who has shown, that the price of sugarcane is linked with the price of sugar. There are, of course, other factors which must be taken into account. And therefore, it is important that Government looks at this question as a whole and do so quickly. Even in studying the Bhargava Report, they have taken so much time. Why is it that they are not able to make up there mind quickly. Having appointed a Commission presided over by a Judge of the Supreme Court and with a membership of experts, when that Report comes to Government, even if it does not fall in line with whatever Government may think, why should Government not be able to make up their mind? In any case, how can they justify these widely varying prices that they have fixed for levy sugar? Why should they vary to the extent of Rs. 118 in Andhra Pradesh and Rs. 442 in South Bihar? And in between the variation in prices for other Zones is also such that it is difficult to understand that there is any rational reason underlying it. I think

Government must give full thought to the points that are being urged in regard to their policy. I do not mind if they wish to favour anybody, but I do mind if they are fixed at levels which are unfair to the grower of sugarcane.

I see no justification for this when you keep saying that you want to give the highest priority to the agricultural sector. If the agricultural sector is to prosper then the first and most important thing to ensure is that the farmer gets a fair and reasonable price for what he produces. That fair and reasonable price for what he produces is necessarily linked with the price of the inputs that he uses and the output or productivity per acre and all the rest of it. In the case of sugarcane—there are other commodities also like this—he has been getting a raw deal. At least during this Emergency when the Government has chosen to give the highest priority to the agricultural sector's development—having regard to the fact that the agricultural sector contributes fifty per cent of our national product—I think the fair thing to do would be to see that the grower gets a reasonable price—and the emphasis in the case of sugarcane growers of U.P. and Bihar is on their actually getting a reasonable price. They have been having an extraordinarily raw deal.

MR. CHAIRMAN: I am getting chits from hon. Members seeking permission to participate in the discussion. This is a discussion under rule 193 and under rule 195 only Members who had given previous intimation to the Speaker will be permitted to speak. Therefore, intimation slips which had been passed on to the Chair after the discussion had started will not be entertained and I request hon. Members to kindly refrain from sending any more chits. Besides there is no time.

SHRI G. VISWANATHAN: (Wandi-wash): If the House agrees, we can do that.

MR. CHAIRMAN: We will have to suspend the rules then.

श्री ई० वी० विल्हे पाटिल (कोपरगांव) :

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपको धन्यवाद। पंडित जी ने और पटेल साहब ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 12 चीनी मिलें हैं जिसमें 5 निजी मिलें हैं और 7 कोआपरेटिव सेक्टर में हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि गन्ने के दाम का झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। चीनी मिलें जबसे चली हैं तभी से यह झगड़ा भी चल रहा है। जिस साल गन्ना ज्यादा पैदा होता है उस साल किसानों को गन्ने का दाम कम मिलता है। उस साल चीनी मिल मालिक किसानों को ज्यादा दाम देना नहीं चाहते हैं। जिस साल गन्ना कम बोया जाता है उसके दूसरे साल चीनी मिल मालिक कांपिटीशन-में किसानों को ज्यादा दाम देते हैं। उस साल कोई झगड़ा नहीं रहता। देश की गन्ने के सम्बन्ध में हर एक साल की यह स्टोरी है। इसलिए मैं समझता हूँ जब तक इसके बारे में लॉग टर्म प्लानिंग नहीं होगी तब तक यह कठिनाई दूर नहीं हो सकती है। हमारे देश में शुगर की एक बेसिक इंडस्ट्री है। गए साल जो इस देश से एक हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ उसमें 375 करोड़ की चीनी एक्सपोर्ट हुई। यदि आप इस बेसिक इंडस्ट्री को चलाकर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जब तक किसानों को गन्ने का उचित दाम नहीं मिलेगा तब तक गन्ना कैसे पैदा होगा और जब गन्ना पैदा नहीं होगा तो उसमें जैसे आज जगजरी चल रही है, अप एंड डाउन चलता है उससे इस देश की एकोनामी सफर होती है। जब आप टेक्सटाइल का सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैश सब्सिडी देते हैं, फाइनेंशियल कन्सेशन देते हैं लेकिन जब गन्ने के दाम का सवाल आता है तो सरकार में रिजिडिटी आ जाती है। पटेल साहब ने ठीक कहा कि लेवी प्राइस के बारे में कई चीनी मिल मालिक कोर्ट में गए, कोआपरेटिव को मिलें भी गईं जबकि दाम में इतनी डिसपैरिटी

है। मिनिस्टर साहब कहेंगे कि कोआपरेटिव ने अच्छे दाम दिए हैं। जरूर दिए हैं लेकिन क्यों दिए हैं ?

बात ऐसी है कि कोआपरेटिव के मेम्बर से कम से कम 20 से 25 रुपया डिपॉजिट लेते हैं, इस तरह से रूरल मोबिलाइजेशन और सेविंग हो रहा है, उन्होंने करोड़ों रुपए के शोधर लिए हैं। महाराष्ट्र में 35 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज का कुल मिलाकर एसेट्स 250 करोड़ रुपया है—यह कैसे इकट्ठा हुआ है ? इस तरह से एकट्ठा हुआ है कि आज वहां पर किसान खुद चीनी फैक्टरी चला रहा है, उसको गन्ने का ठीक दाम मिलता है, जिसकी वजह से सेविंग-मोबिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। इनके मुकाबले में ये चीनी मिल मालिक किसान को कभी भी सही दाम नहीं देते हैं, बल्कि इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया है कि को-आपरेटिव सैक्टर देश में घाटा पैदा कर रहा है, ये लोग इन्कम टैक्स पे नहीं करते हैं, इनके कारण नेशनल रिसोर्स में घाटा आ रहा है। मैं आज हिम्मत के साथ इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हम न केवल एक तरफ किसानों को गन्ने का सही दाम देते हैं, बल्कि इन्कम टैक्स भी पे करते हैं दूसरी सुविधाएँ भी देते हैं। ये मिल मालिक, हमारे खिलाफ गलत बातें देश में फैलाने की कोशिश करते हैं।

आपको याद होगा—जिस दिन पार्शियल-डी-कंट्रोल का फैसला हुआ था, उसी दिन मिनिस्टर साहब ने यहां पर बयान दिया था—मिनिमम प्राइस से ज्यादा दाम इन चीनी मिल मालिकों को गन्ने का देना चाहिए, क्योंकि अब उनको पहले से ज्यादा नफा होगा और इसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिये। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मिल मालिक ने किसान को ज्यादा दाम नहीं दिया, जब कि उनको फ्री-सेल से काफी

मिस मामिलकां कम दाम देते है उन कः खिलाफ काम को सक्त कार्यवाही करनी चाहिये । वह काम अपनी बीजेस कीट में बहुत मैनिपुलेशन करते है जिस को रोक जाना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this discussion is three hours. It means that we will have to end up by 6.30. At 6 O'clock I will call the Minister to reply, and he will continue tomorrow. Since the time is limited, Members may kindly confine themselves to within 5 minutes. And the list is long.

SHRI D. K. PANDA (Bhanjanagar): Mr. Chairman, Sir, on this subject of sugar policy or sugarcane policy, I find for the last four years that there is always a traditional way of getting things done; and always, a traditional answer is forthcoming. There is now absolutely no reason to argue in favour of a remunerative price and on the principles of fixation of price of the cane, because they have already been decided. And it is enacted into an Act; and under the Cane Control Order, the two principles are already fixed, viz. income from any alternative crop and secondly, the actual cost of production. And my friend Mr. Narsimh Narain Pandey has correctly said that this has not, as a matter of fact, been observed. In spite of several Questions, Private Members' Resolutions under rules 197 and 184 and other measures taken by Members of Parliament from both the sides, we are still not getting a clear picture, nor a clear answer. I would say that the answer has become traditional. The simple question now is whether, while fixing the price of cane, these two factors are to be taken into consideration and whether all our arguments should be put forth because we consider that the law, as already framed, has to be respected. If we have any respect for the law or the provisions of the Cane Control Order, we should stick to it. There is no point for argument. Take, for

example, cane arrears. It has now gone up to Rs. 52 crores. It is Rs. 29 crores for 1975-76; and for 1974-75 the arrears have gone up to Rs. 23 crores. Altogether, the cane price arrears have come to Rs. 52 crores. How can this be recovered? There is a Recovery Act already. In how many cases has it been applied? In no case. And in U.P. itself you will find that out of 46 mills, Rs. 18.62 crores are the arrears and in 17 mills, the figure is Rs. 2.77 crores for 1973-74. And there is only one case against one mill. This is the latest figure. What is the meaning? The Recovery Act is already in vogue; but it is not being implemented. Rather, it is being violated. Similarly, the Cane Control Order is there; but it has been violated consistently all these 27 years. Let us now see what action has been taken against these sugar thugs who should immediately be brought to book, because that is the national cry. Now, instead of taking any action against them,—we need not demand it under this bill; but under Emergency or the MISA we can do it—if you simply follow the policy of persuasion, it can never be realized. They always want to make huge profits by looting the cane growers, not only by not paying reasonable prices, but also by keeping with them money to the tune of crores of rupees and not paying the growers in time. Even though under the law it has to be paid within 14 days, it is not being paid. So, why not apply the MISA or DIR against these persons, who are violating the law pertaining to the Cane Control Order?

On 1st November 1975 in answer to a question the Government were pleased to say that they are going to give certain concessions to the very sugar magnates who are having some expansion projects. When the cane growers were the worst sufferers because they had to pay a higher price for fertilizer and water, the main inputs for agriculture, the Government were not willing to come forward with

[Shri D. K. Panda]

any measures to help the cane growers. But when the price of machinery and other things have gone up, you say that those who want to expand their unit must be given some concession. At one time these very sugar magnates, sugar barons, who are now coming with a proposal for expansion, they were running their mills below capacity in order to make profits by creating scarcity conditions. Now when they come forward with a proposal for expansion, you want to give them all the facilities. You are increasing the levy-free quota of sugar for them. In the name of expansion, they have been given more and more concessions, as per the recommendations of the Sampath Committee.

I will remind the hon. Minister the seminar of the All India Cane Growers which he attended in December 1975, where almost all the 287 members opined that the only remedy is to see that the arrears are not there, the remunerative price is fixed and the consumers are given some relief. The only way to put an end to all these wrongs is to nationalise the sugar industry, but that is not being done.

Coming to the additional profits, how many of the sugar factories or the sugar barons have come forward to give 50 per cent of their profits to the cane-growers? Is there one such single case? Then, why should the hon. Minister come forward to advocate the cause of the sugar magnates on the pretext that the price of machinery has gone up?

When in 1974 we demanded Rs. 186 per ton of cane, what was the reply? The reply was that if we increase the cane price, then the prices of other agricultural produce would go up. But when the prices of other agricultural products went up, when we demanded a higher price for cane, you said that your effort will be to bring down the prices and so there should be no increase in prices.

Last year they were getting at least Rs. 16.50 per quintal. This year it is far below that. Every year a new argument is being advanced and you do not pay heed to what is being discussed here or to the demands of the cane growers. I hope the hon. Minister will not give his traditional reply. The price which they fix should be a remunerative price. It should not be below Rs. 16.50, which they got last year.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: Last year they did not get Rs. 16.50. In U.P. it was Rs. 13.50; in Western U.P. it was Rs. 14.50.

SHRI D. K. PANDA: They did get it.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: You are making a wrong statement.

SHRI D. K. PANDA: That alone can be called a remunerative price. Secondly, why not a statutory committee of Members of Parliament be constituted for fixation of the cane price since this has been the demand from 1956?

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) :
सभापति, जी यह बहुत ही दुःखद बात है, और इसको आयरनी ग्राफ फेट कहेंगे कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है, तो दाम नीचे आते हैं और जब प्रोडक्शन कम होता है, तो दाम ऊंचे जाते हैं। हम खेतिहरो को कहने हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करे, लेकिन जब वे अधिक उत्पादन करते हैं, तो वे देखते हैं कि उनको कास्ट प्राइस भी नहीं मिलता है—मुनाफ़े की कौत कहें, उनको उत्पादन का खर्चा भी नहीं मिलता है। इस स्थिति से हर गृहस्थ यह सोचेंगा कि मैं क्यों अधिक पैदा करूँ ? जब किसान सरकार के कहने से और अपने फायदे के लिये गन्ना, नेहूँ, चावल और जूट आदि चीजों का अधिक उत्पादन करता है, तो उसका दाम कम हो जाता है। इस तरह तो उसको कम पैदा करने में यही फायदा है। ज्यादा पैदा करने में, क़ायदा

[श्री डी० एन० तिवारी]

विनिमय जोन्स में दाम में जी कर्त है, उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मुझे उसका कोई भी चिन्तन आलूम नहीं होता है। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

जब कारखानों के उत्पादन के दाम बढ़ गये हैं, तो किसान के उत्पादन के दाम क्यों नहीं बढ़ाये जाते हैं? क्या इसलिये कि वे भूक है, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुँचती है और हम वहाँ जो अरम्भरोदन करते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती है? बूकि वे अग्रकैम को बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, इसलिये उन पर वह मार पड़ रही है। अगर वे भी आर्मेनाइज्ड होते और मिलों को न चलने देते, तो सरकार सब मार कर उनको अधिक दाम देती। यह आवश्यक है कि अन्य सामानों के दाम जितने बढ़े हैं, उसी अनुपात से किसान के उत्पादन के दाम भी बढ़ाये जायें।

मिलों के हिसाब की ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से जांच करनी चाहिये, ताकि यह पता चले कि वे कितने-कितने चीजों को बेचते हैं और उससे उनको क्या लाभ होता है। ऐसा करने से उनके दाम कम होंगे। शायद सरकार के एक-अप्टेन इस बात को नजरन्दाज कर देते हैं। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री राम चन्द्र बिकल (बागपत)
महापति जी, आज किसान के गन्ने के भाव पर यहाँ चर्चा हो रही है। इस बारे में भी नरसिंह नारायण पांडे ने बहुत ही युक्तिपूर्ण और तर्कपूर्ण ढंग से यह साबित किया है कि किसान को गन्ने का जो मूल्य मिल रहा है, वह म्यावोथिन नहीं है।

16.44 hrs.

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI in the Chair]

अगर हम देश में आर्थिक कार्यक्रम को चालू रखना चाहते हैं, तो हमारा वह कर्तव्य हो जाता है कि हम पैदावार करने वाले किसान और मजदूर को आर्थिक साधन और सहायता दें और साथ ही समाज में सम्मान भी दें। अगर पैदा करने वाले को साधन और सम्मान नहीं दिया जायेगा, तो आर्थिक कार्यक्रम को सफल कौन बनायेगा?

किसान को हैसियत दो प्रकार की है। वह पैदा भी करता है और खरीदता भी है। उत्पादक की हैसियत से जो चीजें वह पैदा करता है, उसके दाम बराबर गिरते चले जायें, और जो चीज वह उपभोक्ता की हैसियत में खरीदता है, उसके दाम बढ़ते चले जायें, तो वह किसान पर एक प्रकार का डबल जुर्माना है। जब यह डबल जुर्माना होगा किसान के ऊपर तो पैदावार बढ़ाने के लिए वह किस तरह से साहस करेगा? यह एक मोटी बात मैं आप को कहना चाहता हूँ। आज किसान के ऊपर जैसा पाडेय जी ने कहा अनेक तरह के टैक्सों की दरें बढ़ी हैं। चाहे वह बिजली की हो, आबपासी की हो या लगान हो इन की सब की दरें बढ़ी हैं और किसान की चीजों के भाव गिरते गए हैं। तो जहाँ किसान की आर्थिक हालत खराब होगी, मैं समझता हूँ कि सारे राष्ट्र की आर्थिक हालत खराब होती चली जायगी और हमारा जो स्वप्न है वह स्वप्न अधूरा रह जायगा।

दुर्भाग्य यह है कि किसान अपना हिस्सा मेहनत का और लागत का खुद नहीं जानता बल्कि उल्टे यह है कि किसान अपनी गरीबी को धमोरी कर के शो करता है। दूसरी तरफ जो धमोरी लोग हैं, मिल मालिक है वह अपने मुनाफे को घटा कर के दिखाने के आदी है चाहे वह इन्कमटैक्स के भय से हों चाहे किसी दूसरे भय से। तो दोहरा फर्क हो जाता है किसान की मनोवृत्ति में और मिल मालिक की मनोवृत्ति में। और खाली

सिख मालिक ही चाटे के चाटे बनते हैं एसी बाग यद्वा, हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अधिकार ऐसे हैं कि जो मिल मालिक के फेवर की दलीलें लाएंगे, मिल मालिक के हितत्व को अच्छा साबित करेंगे। अगर किसान के फेवर में दलील देने में वह भी पना नहीं क्यों मसकूर होते हैं और दुर्भाग्य यह है कि जो देश के धर्मशास्त्री हैं जिनके ऊपर सारे देश के भावों का निर्धारण निर्धार करता है वह चाहे वह मूल्य धारण हो या धर्म शास्त्री हों, वह भी किसान को मेहनत और लागत के तौर पर उसकी जिम्मे के भाव तय नहीं कर पाते। यह सोचना होना और सरकारों को सोचना होना कि इन सब बातों के होते हुए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे पैदा करने वालों को उचित दाम मिल सके और उनको उचित साधन मिल सके।

समानानि महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप भी जानते हैं कि जब किसान हमसे पूछते हैं कि 1967 और 68 में इन्दी किसानों को अनेक मिलों ने 21 रुपये क्विंटल 17 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव दिया और आज जब किसान की खरीद के भाव बढ़ते चले गए हैं तो उनके गन्ने का दाम कम क्यों होते जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। 1974 में सवा पन्द्रह रुपये फी क्विंटल सरकार ने तय किया कि देगे, पन्द्रह रुपये देंगे। कुछ दिन बाद साढ़े चौदह हो गया और साढ़े चौदह भी तब हुआ जब प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता की, बरना फरवरी के बाद मिल मालिकों ने 11 रुपा देना शुरू कर दिया। उन्होंने कोई मोटिंग की लखनऊ और दिल्ली में और घोषणा कर दी कि 11 रुपये क्विंटल देगे। प्रधान मंत्री ने मध्यस्थता की तब भी 11 से लेकर साढ़े चौदह रुपये तक का भाव रहा। आज भी मैं प्रधान मंत्री को बधाई देना हूँ कि वह बोच में पड़े हैं तब इतना तय हुआ है बरना सरकारी कर्मचारी और धर्मशास्त्री तो कुछ और ही बात कहना चाहते थे। वद, तो 12 रुपये से भागे बढ़ना ही नहीं

चाहते थे। मेरा कहना है कि इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किसान की उपज के भाव गिरते चले जायें और उसकी खरीद के भाव बढ़ते चले जायें तो उसका परिणाम क्या होगा ?

मिल मालिक मेली को भी बेचते हैं, श्रीर को भी बेचते हैं, छोई को भी बेचते हैं और चीनी भी बेचते हैं। सब के दाम बढ़ते चले गए और वह सरकार से और मांग कर रहे हैं कि हमारी चीनी के भाव और बढ़ाए जाएं। उसके लिए बहुत दलीलें निकल आती हैं, कहते हैं, मिले पुरानी हैं, मशीनरी खराब हो गई है लेकिन किसान के फेवर की दलील नहीं आती, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है।

किसान खाली आर्थिक तौर पर इस देश में अस्त है यहो नहीं है। किसान के प्रति अच्छी धारणा और भावना भी नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो इस देश का प्रहरी है जिसका लड़का सीमाओं पर रक्षा करता है, जो यहां अन्न उत्पादन करता है और पैदावार बढ़ाना है उसके प्रति सद्भावना नहीं हो पाती तो दुर्भावना भी नहीं होनी चाहिए। मुझे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को उस भावना से बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं समझता हूँ कि सारे देश को मिलनी चाहिए जो उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि मेरी भस्मी किसानों के खेतों पर डाली जाय। किसान के खेतों पर भस्मी डालने के पीछे पंडित जवाहरलाल जी की भावना भरी पड़ी थी, वह किसान का आदर करना जानते थे, वह जानते थे कि यह देश किसानों का है, किसान के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे उनके वह शब्द भी याद है, उन्होंने कहा था कि किसान मेरे गुरु हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर आदि जिलों के किसानों में मैं जाता था तो किसानों ने मुझे प्रेरणा दी, किसानों ने मुझे बोलना सिखाया। लेकिन उस किसान के बारे में आज जवान नहीं खुगती, कलम नहीं

[श्री राम चन्द्र बिजल]

उदारी, बुद्धि कुठिल हों जाती है सोचने में। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान जो एक बहुत बड़ा तबका है वह इस देश का धनदाता है, वही अन्नदाता है, वही धी-दाता है, वही दूध दाता है, वही कपड़ा-दाता है, कौन सो चीज है जो वह नहीं देता है ?

मैं कहता हूँ कि किसान इस देश का प्राणदाता है। अगर उनके बारे में इस तरह की भावनाएँ हों, उसके लिए उल्टी नीतियाँ अपनाई जायें, उनकी बातों की सनवाई न की जाये तो देश के लिए वह कोई शुभ लक्षण नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी किसान क्षेत्र से आते हैं, आप किसानों के हिमायती हैं, हम सभी को किसानों के बारे में सही तरीके से सोचने की परम्परा को बचाना होगा चाहे वह केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे वह देश के अर्थ-शास्त्री हों, सरकारी कर्मचारी हों या राज-नेता हों—सभी को उनके बारे में सही दिल से सोचना होगा। आखिर इस देश में जो भी पैसा होता है वह पैसाकार खेत और कारखानों में ही होती है लेकिन जो पैदा करने वाले हैं उनके हालत क्या है ? आज जो पैदा करते हैं वही दुखी हैं, आज उसी का अनादर है, कोई उसके बारे में सही सोच नहीं सकता है। ऐसी हालत में उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद तो इस देश को घाटा ही होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के बारे में इस देश के अर्थ-शास्त्री और दूसरे सभी लोग सोचें। किसान की पदावार का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो कुछ मूल्य आयोग हैं उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। उसमें व्यावहारिक किसानों को भेजा चाहिए—ऐसे लोग जो स्वयं पैदा करते हैं, जो किसानों के दर्द को जानते हैं उन लोगों को रखना चाहिए और कामूजी लोगों को बहा से निकालना चाहिए जोकि झूठे सच्चे कामज बनाते हैं और उन्हीं के अज्ञान पर सरकार की नीतियाँ चलती हैं।

इसलिए यदि मूल्य बताने में किसानों को भेजना चाहिए। पिछले दिनों सुना कि जेम्सोप सरकार की नीति कुछ तयवीर हो रही है। मिल के मुक्तके में किसानों बचकूर की फाली-दार बनाया जायेगा लेकिन वह कामका मुझे स्वप्न सा नजर आता है। किसान मजदूर उसमें भागीदार हो सकेंगे यह मुझे कुछ स्वप्न सा लगता है। बहुत से लोगों ने आज की है कि अगर मिलें घाटे में चलती हैं तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर ले लेकिन मैं समझता हूँ खराब मिलों की जिम्मेवारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए। यह बात कही नहीं है कि मुनाफा तो मिल मालिक से और मिल खराब हो जाये तो उसकी जिम्मेवारी सरकार उठाये। इस प्रकार तो मिल मालिक और भी बड़ा बढ़ा कर अपने कामज बनायेगे और सरकार तथा किसानों को मुबालते में रखेगे। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और श्री नरसिंह नारायण पांडे जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक तर्कपूर्ण ढंग से विस्तार में सारी नीतियाँ यहाँ पर रखी और दूसरे तमाम आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किये। मैं एक किसान के रूप में मोटे तौर पर इस भावना को रखना चाहता हूँ कि देश में पैदा करने वाले किसान और मजदूरों को साधन और सम्मान मिले तभी हमारे आर्थिक कार्यक्रम सफल होंगे, यह देश आगे बढ़ेगा और अन्न के मामले में हम विदेशों के गुलाम नहीं रहेंगे।

श्री रामबोध सिंह (महागजवंज) : सभापति जी, चीनी उद्योग खतरों में पड़ा हुआ है। लोगों ने यहाँ पर बहुत सही और साफ बातें कही हैं। हमारे विकल जी ने जिम्मेवारी डालने के लिए सरकारी मुलाजिमों को तो ले लिया लेकिन मंत्रियों को बकल दिया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीनी उद्योग हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। हम यहाँ पर अधिक चीनी पैदा करके बाहर भेज सकते हैं और विदेशों से पैसा ले सकते हैं लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों,

के खेती-यह उद्योग और ईख की खेती खेतों में बढ़ गई है। यह पर ध्यान कबीजन की बढ़ी हुई लेकिन उसको खरी-सक ताक पर रखना है। आपको स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि क्या चीनी मिश्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे या नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उसमें बिस्वन्ध नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे तो स्पष्ट घोषित कर देना चाहिए क्योंकि पिछले दो तीन सालों से मिल मालिक एक पैसा भी फँट्टी में नहीं लगा रहे हैं। अब उसकी फँट्टी ले ली जायगी, दुविधा में पड़ा है, असमंजस में पड़ा है—इस बात को सफ कर देना चाहिये।

ईख की जो कीमत निर्धारित की गई है, वही विचित्र है। इस सरकार की यह पालिसी है कि ऐसा काम राज्य सरकार पर डाल दो, लेकिन उनको ठीक से करने भी न दो—ऐसा क्यों होता है। हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं—चीन की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन ईख की कीमत नहीं बढ़ती। सरज पाण्डेय जी ने ठीक कहा है—प्राज जिस भाव पर सूखी नकड़ी बाजार में बिक रही है, उस से भी कम कीमत इस की खेती करत वालों को दी जाती है। हर चीज का दाम बढ़ रहे हैं, 500 रुपये का बिकनेवाला पम्पिंग मेट आज 5000 रुपये का बिक रहा है 10000 रुपये में बिकने वाला जेटर ट्रैक्टर आज 40 से 46 हजार में बिक रहा है। वे मारी चीजें जो किसानों के खेतों में उपयोग में आती हैं उनको महंगे दामों में खरीदनी पडती है, लेकिन ईख की कीमत नहीं बढ़ रही है।

मभारति जी, पिछले दिनों एग्रीकल्चर की कन्सल्टेंट्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को जगजीवनगम बाबू प्रेसाइड कर रहे थे। हमने कहा कि ईख की कीमत ठीक से निर्धारित कीजिये, आज ईख की खेती का ह्रास हो रहा है, यदि ऐसे ही चरता रहे तो ईख की खेती इस देश में समाप्त हो जायगी। तब जगजीवन बाबू बोले—

रामदेव बाबू, वह दिन इस देश के किरी बड़ा शुभ दिव होगा, जब ईख की खेती इस देश में बन्द हो जायगी और तब दूसरे भ्रष्ट की खेती होने लगेगी। हमने कहा—जगजीवन बाबू, आप भारत सरकार के खाद्य मन्त्री हैं, जब आप को ही यह विचार है, तब हमको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। जिस ईख की खेती से चीनी बनती है, जो मानव की मौसत खुराक है, इस देश के लिये ही नहीं सारी दुनिया के लिये है, भले ही दूसरे देशों में चीनी दूसरी चीजों से बनाई जा सकती हो, लेकिन हिन्दुस्तान में तो ईख को छोड़ कर दूसरे किसी पदार्थ से चीनी नहीं बनाई जाती। जिस चीनी को हम विदेशों को भेज कर विदेशी मुद्रा कमाते हैं, इस देश की प्राथम्यकता को पूरा करते हैं—यदि उस ईख की खेती बन्द हो जाय तो वह इस देश के लिये दुर्भाग्य होगा या भीभाग्य होगा—इस बात को यदि इस देश के खाद्य मन्त्री नहीं समझ सकते हैं, तब फिर जो स्थिति प्राज बन् रही है उस में किस को प्राथम्य नहीं होना चाहिए। मैं तो आप से यही निवेदन करवा चाहूँगा—यदि सरकार के दिल में इस देश के गरीबों के लिये, इस देश के किसानों के लिये दर्द है तो उस को चाहिए—ईख की और चीनी की मही कीमत निर्धारित करे, एक सही नीति बनाये। हम के लिये वह चाहे पालियामेंट के मेम्बरो के साथ बैठकर बातचीत करे या हमारे गावों में जो एक्स-पर्ट्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उन के साथ बैठकर बातचीत करे और एक सही नीति बनाये। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सरकार में आइ० ए० एस० अफसर ही सारी बातों के एक्सपर्ट हैं। जब भी कोई चीनी सिक मिल नी जाती है, उम तो बलाने के लिये वही से ए० डी० एम० को बुला लेते हैं या कहीं से कन्सल्टर को बुला लेते हैं। गाव में जो चीनी विशेषज्ञ हैं, जिन में बहुत से पढ़े-लिखे और अच्छे लोग भी हैं, जिन्हें चीनी उद्योगी बलाने का अनुभव भी है, ऐसे लोगों को मार्किट में नहीं खोजते हैं।

[श्री राम देव सिंह]

यह कलेक्टर और ए० डी० एन० को खोजते हैं जिन्होंने कभी मन्ने को खेती देखी नहीं, कोई उसकी जानकारी नहीं कि किसान मन्ने को काट कर कैसे बेचने के लिये लाता है। जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है उन्हीं को फेक्ट्री का डायरेक्टर बनाया जाता है, वही बीनी की कीमत निर्धारित करते हैं। ऐपीकल्चर प्रहस कमीशन को जो तोड़ने की बात कहीं गई है मैं उस का समर्थन करता हूँ। ऐसे प्रायोग को कोई आवश्यकता नहीं है जिस को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। एक जमाना था जब अंग्रेजों के काल में बीनी की कीमत ईश की कीमत से निर्धारित होती थी। एक २० मन बीनी बिकती थी तो 1 २० मन ईश बिकती थी, 20 २० मन बीनी हुई तो मन्ने का दाम सबा २० हो गया, 32 २० मन बीनी तो मन्ना 2 २० मन हो गया, 40 ० मन बीनी तो मन्ना 3 २० मन बिकता था। आज मन्ने की कीमत नीति पर निर्धारित करते हैं यह समझ में नहीं आता, यहां माननीय सदस्य भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज जो मन्ने की कीमत दे रहे हैं उसका निर्धारण करने के पीछे क्या उसूल सरकार का रहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। हम ऐपीकल्चर कंसल्टेंटिव कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौनसा उसूल सरकार फोलो करती है।

17.00 hrs.

यह सरकार कभी भी बीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी क्योंकि सरकार ने बीनी मिलों को अपना चरगाहा बना रखा है, और जब कहीं चुनाव आया तो लाखों २० बीनी मिल मोनर्स एसोसियेशन इन को देता है। ऐसा चरगाहा क्यों समाप्त करेंगे। आज करोड़ों २० किसानों का बीनी मिल मालिकों पर बकाया है हमारे यहां एक २० जो ० मिल के पास 17 लाख २० किसानों का बाकी है लेकिन उसको वसूल करने की कोई कोशिश

सरकार नहीं कर रही है। अगर हमारे ऊपर सरकार का 1 २० की रकम खता है तो किसान का बारूट जारी कर देते हैं, उसके बीस खोल लिये जाते हैं, कुर्को निकाली जाती है, जेल में बन्द्य करते हैं। लेकिन इस सरकार में हिम्मत नहीं है कि मिल मालिकों से किसानों का बकाया विला सके। सरकार के पास शक्ति है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करती जिससे बकाया वसूल कर सके। मिल मालिक का पैसा सरकार की शक्ति पर पानी डाल देता है।

एक मननीय सदस्य ने टीक ही कहा कि आज कल इमरजेंसी है जिस पर आप को गाज है। तो इसको बीनी मिलों पर क्यों नहीं लायू करते हैं जिन पर करोड़ों २० किसानों का बकाया है। आप सभापति जी, गांवों में जाते होंगे, हम भी जाते हैं, किसान अपनी बंटी के बिबाह के लिये कहता है कि हमारा 1,000 २० मिल पर बाकी उस को कितनी तरह दिला दीजिये हम लिखते भी हैं पत्र, पर कोई सुनवाई नहीं होती है।

फ्री सेल और कंट्रोल सेल, यह क्या तमाशा है। अगर आप को कंट्रोल करना है तो पूरा कंट्रोल कीजिये। फ्री रखना है तो पूरा फ्री रखिये। यह भाधा घर कटा और भाधा घर पिटा नहीं चलेगा। सरकार की हाचापाच नीति किसान को मार देगी।

उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह पर जो बीनी मिलें हैं मालूम होता है कि चीन और भारत की लड़ाई हो रही है। बिहार की पुलिस लगी है, एक तरफ पेरबा में लगी है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी है। हम नहीं जाने देंगे हम नहीं जाने देंगे। पत्र भी लिखे गये इसके बारे में। राज्य सरकार ने भी लिखा। लेकिन सेंटर के पास इतनी हिम्मत नहीं कि दोनों के कमिश्नरों को बुला करके, दोनों मुख्य मन्त्रियों को बुला करके उस एरिवा के बारे में निर्णय कर दे। २० सम्पूर्ण-

श्री श्री श्री कृष्ण सिन्हा जी, दोनों मुख्य मन्त्रियों के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार बिहार के खेरा एरिया के 208 गांव उत्तर प्रदेश की प्रताप चीनी मिल को दिए गए थे जो कि सत्तर साल से उत्तर प्रदेश के साथ सम्बन्धित थे। इस साल बिहार सरकार ने उन गांवों को छीन करके बिहार की चीनी मिलों को दे दिया है। इस के जो ने कांग्रेस नेताओं और कुछ दूसरे लोगों को पकड़ा और बिहार सरकार पर दबाव डलवाया कि उन गांवों को छोड़ करके हमें दे दिया जाए और इस चीज को लेकर आज वहां लोगों में भयानक संघर्ष मचा हुआ है। मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ऊंच के बारे में, चीनी के बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है, मालूम होता है कि उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है या उसने उसे एक दम दरकिनार कर दिया है। ऊंच की खेती एक महत्व की खेती है। ऊंच की खेती देश में बढ़े, किसान को समय पर उसका पैसा मिले इसकी आपकी व्यवस्था करनी चाहिये। जो पैसा उनका रुका पड़ा है उसको दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये और शीघ्र से शीघ्र दिसवाया जाना चाहिये। जो मिल मालिक नहीं करते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, उनको सजा दे। वे शीरा बेचते हैं, चीनी महंगी करके बेचते हैं और मालामाल हो रहे हैं। ऊंच बोने वाला आज उजड़ गया है, हाहाकार उनमें अभी हुई है। यदि देश तथा किसानों के प्रति आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहते हैं तो फेन प्राइस का आप पेमेंट करायें और एक अच्छी नीति चाहे जिस तरह की भी वह हो इस उद्योग के बारे में अपनायें। नीति ऐसी होनी चाहिये जिससे ऊंच की, चीनी की पैदावार बढ़े, लोगों को सहूलियत से मिले, ज्यादा चीनी का निर्यात हो। ऐसी नीति लागू किया करें, केवल वही मेरी आपसे प्रार्थना की है।

श्री बेंबा सिंह (पबरीना) : सभा पति महोदय—

एक जाननीय सचस्य : बैठ कर बोलिए।

श्री बेंबा सिंह : दरखास्त जब की जाती है तो खड़े हो कर की जाती है। मैं भी मंत्री महोदय से दरखास्त करना चाहता हूं, प्रधान मंत्री से करना चाहता हूं। अब समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश और बिहार के करोड़ों किसान परिवारों को राहत दिलाई जाय इन मिल मालिकों से। मैं श्री नरसिंह नारायण पांडे जी का आभारी हूं कि वह हमारी मदद के लिए आए हैं और उन्होंने इस डिस्कशन को छोड़ा है। उन्होंने बहुत ही खूबी के साथ यह मामला आपके सामने पेश किया है। मैं जानता नहीं था कि आज यह मामला आ जाएगा और आज खरम हो जाएगा और कल आप नहीं सुनेंगे। मैं समझता हूं कि यह मामला ऐसा है जिस पर आप को सारे हाउस को सुनना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यह कहे कि ये मिलें सड़े हुए लोगों के हाथ में पड़ी रहें। सारा हाउस इसके बारे में व्यथित है और कह रहा है कि इन से पिड छुड़वाइये। गन्ने की कीमत आप क्या तय करने? खरीदने वाला और बेचने वाला ये दो पार्टियां होती हैं जो तय करती हैं। यही दो पार्टियां उत्तर प्रदेश में और बिहार में हैं। एक पार्टी तो करोड़ों भूखे नंगे किसानों की है और दूसरी पार्टी करोड़पतियों की—बदमाश मैं कह रहा था लेकिन नहीं कहेगा—उसकी है और वह है जो देश को लूटने वाली है। इसी दिल्ली में यह सोचा गया कि मैं इस संसार से चला जाऊं, लेकिन मैं आपकी कृपा से मौजूद हूं।

श्री श्री श्री और बिहार में को-ऑपरेटिव मिलें बना-बना कर हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में किसान इस सरकार की सहूलियत से

[श्री नैना सिंह]

अपनी फैक्टरिया चलाते हैं। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और कई अन्य प्रदेशों में वे अपनी फैक्टरिया चला रहे हैं। कहा जाता है कि ये को-ऑपरेटिव मिलें खराब हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन मिला का काम तो देखें। महाराष्ट्र में दो-तीन को-ऑपरेटिव मिलें हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं हैं, उन्होंने पिछले साल 21 रुपए बिटल तक दिया है। यह फाइनल पैमेंट नहीं है, बल्कि पेटाई के समय यह एडवांस के रूप में दिया जाता है। आखिरी पैमेंट चीनी व विक्रेता पर की जाती है। जिस भाव पर चीनी बिकती है, उसी के अनुसार फाइनल पैमेंट किया जाना है। मेरा क्याल है कि महाराष्ट्र की किसी मिल ने 17 रुपए बिटल से कम नहीं दिया है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिला में पहले रिकवरी कम आती थी जबकि पूर्वी उत्तर-प्रदेश और बिहार में रिकवरी ज्यादा आती थी। यह फैक्टरिया बहुत पुरानी हैं 1931-32 की बनी हुई हैं। व तभी से ज्यादा रिकवरी देती रही हैं। लेकिन अब रिकवरी कम हो गई है। हमने देखा है कि रिकवरी साठे 10 परसेंट होने पर भी मिल मालिक कहते हैं कि हम गन्ने का दाम 11 रुपए बिटल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। जहां रिकवरी 8 परसेंट हुई, वहां भी 11 रुपए दिए गए हैं और वहां साठे 10 परसेंट हुई वहां भी 11 रुपए दिए गये हैं।

अंधाणा और बीराला की चीनी मिलों ने 10 से 12 परसेंट रिकवरी होती हुए भी केवल 11 रुपए दिए। भारतीय कमीशन के एक नाबिक मेम्बर, श्री कर्लीकर, ने यह बयान दिया कि 11 रुपये से अधिक नहीं देना चाहिए। वास्तव में भारतीय कमीशन दो हिस्सों में बट करके एक ही कमीशन को दो हिस्सों में बांट कर एक हिस्सा कमीशन के तौर पर दे और दो हिस्से, जो एक को-ऑपरेटिव फैक्टरी में दे

मैं यह भी, श्री जी० सी० दीक्षित, जो किसानों और मजदूरों के नेता हैं, और बिहार के श्री फजलुर्रहमान दूसरी तरफ थे। श्री दीक्षित के दल ने बहुत सोच-समझ कर यह रीकमेंड किया कि प्राइवेट चीनी मिलों को ले लिया जाय। मैं समझता हू कि उन को यह सुझाव स्वागत-योग्य है और मान लेने लायक है।

मैं चाहता हू कि हिन्दुस्तान को एक ऐसा हिन्दुस्तान बनाया जाये, जिस में किसानों का खून बूंसने वाले और उन को बर्बाद करने वाले चीनी मिल-मालिकों के हाथ से ये चीनी मिलें ले ली जायें। पिछले आलीस बरस में उन्होंने किसानों और मजदूरों को लूट कर जो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, वे तो उन के पास रहेंगे। लेकिन वे कम से कम इन मिलों को तो छाड़ दें।

जब तक खरीदने वाले और बेचने वाले का रिश्ता ठीक नहीं किया जायेगा, जब तक गन्ने का दाम ठीक नहीं मिलेगा और यह झगडा चलता रहेगा। जहां किसानों की सहकारी ममितिया चीनी मिलें चला रही हैं और किसान उन को अपना गन्ना दे रहे हैं, वहां उन में बहुत अच्छा रिश्ता स्थापित हो गया है।

गन्ने के दाम का प्रश्न सारे देश में है लेकिन उन के लिए झगडा और कही नहीं है—अगर कही झगडा है, तो केवल यू० पी० और बिहार में। जहां सहकारी चीनी मिलें हैं, वहां किसानों व बिड़ड़ मोर्चा नहीं बन पाया है। प्राइवेट चीनी मिल-मालिक तो हम को मार देते। वे हम को कभी राष्ट्रीयकरण की बात न करने देते। लेकिन सहकारी चीनी मिलों में ऐसा काम किया है कि उन्हें भी बचक से हिन्दुस्तान सिर उठा रहा है। जरा इस बात को विचार कर लें कि वे को-ऑपरेटिव मिलें क्या कर रही हैं? उनके को-ऑपरेटिव फैक्टरी में चीनी की दरक लगाना चाहिए, किन्तु उन्हें को-ऑपरेटिव

रिक्वरी बढ़े, जैसे वहाँ की गन्ना की उपज ज्यादा हो और जैसे वहाँ की ठीक खरीद बिक्री हो।

आज जितनी लूट शूगर में है उतनी और कहा है? उस क बाई-प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, पीलेमिस को देख लीजिए, कैमे उम में लूट हो रही है। गीरे को बिक्री कैमे होती है, बगास की बिक्री कैमे होनी है, हर चीज की बिक्री में लूट है। लेकिन गाव का गन्ना पैदा करने वाला जो है उस का चूक कच्चा माल है, उस कच्चे माल की बुनियाद पर आप जो चाहे कर सकते हैं। वह 31-32 की बनी हुई फैक्ट्रिया है। इतनी पुरानी हिन्दुस्तान में कोई फैक्ट्री है? जो विशेषज्ञ हो वह बनाए कि हिन्दुस्तान में कौन भी इन्डस्ट्री इतनी पुरानी है और कहा इतना धन उन्होंने कमाया है? कोई देखता है बैलेस शीट। आप को सुन कर आश्चर्य होगा गोखले जी ने धन की बैलेस शीट को पकड़ा और करोड़ों रुपए उस बैलेस शीट से उन्होंने कमा दिए हैं। यह इसलिए कि ये मूठा बैलेस शीट तैयार करते थे। शूगर सेलिंग एजेंट्स कमीशन उस में दिखाते थे। शूगर सेल करने के लिए एजेंट को कमीशन जो पुराने जमाने में 30-31 में था उस को सब तक चलाते जा रहे थे। जब मैंने पत्र लिखा तब पकड़े गए। मैं गवर्नमेन्ट का संपत्ति बचाने की बात कह रहा हूँ। मैं मार्च इन्डिया के प्राइवेट मिल मालिक तीन चार करोड़ रुपया हर साल ले जाते थे इस तरह से। अब शायद इस साल से कटता जाता है। तो हर वर्ष कितना धन जाता था? कितना बाई-प्रोडक्ट्स में जाता था उस को तो छोड़े दीजिए, बैलेस शीट खूबी बना कर इतना रुपया ले जाते थे जो सब पकड़ा गया है। इसी तरह से निष्पत्ति के लिये, जो मुश्किल याचक हो जाती थी उसे के लिये पकड़े हैं। किसान के लिये रुपए हीन रुपए के रूप में जाते हैं।

तो मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि खरीदने वाले की हैसियत आप ठीक कर दीजिए। अगर खरीदने वाले को इसी तरह रखा तो हमारी हिफाजत आप नहीं कर सकते। अगर हमारी हिफाजत करनी है तो पुराने दरों को बदलिए और मैं कहता हूँ कि कौन सी ताकत आप में नहीं है? जहाँ तक राजनीति का सवाल है महाराष्ट्र में ब्रताइए वीन गले वाली का विरोध करता है? आन्ध्र के मेम्बर बैठे हुए हैं। कोआपरेटिव शूगर मिल भी चलाने है और नेता भी है। पालिटिक्स में जितने मजबूत भेरठ में हमारे मिनिस्टर साहब हैं उस में ज्यादा मजबूत होने वाले हैं लेकिन पिती के बनाने से मजबूत होंगे जग-जीवन राम जी? पिती, शिरला, नेबर्टिया, इन लोगों का सब का नाम यहाँ रख कर मैं वक्त खराब नहीं करूँगा, इन सब को जो आप ने जिले जिले में बैठाया है, इन को मारिए पर नान-वायलेस में। आपकी नान-वायलेस की पालिसी को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। आप मिल मालिकों से कहिए कि वे इन करोड़ों गरीब आदमियों की जान छोड़ दें। अगर यह ही जायेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपसे कहूँ कि डमजोमी की जितनी इंसान हमने की है, हमारे किसानों ने की है उन्होंने नहीं की। पार साभ मिनिस्टर साहब के इलाके में साठे बीघह रुपए का दाँभ था। हमारे यू० पी० ने गवर्नमेन्ट बन गई, चीफ मिनिस्टर जने लेकिन बाब 11 से सवा 13 हुआ—यह बहुत नाभूनामिक है। अणजीवन राम जी इस बात को देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है जगजीवन राम जी इसको करके लेकिन मालिकों की बदली का काम भीमती इन्डिया घोषी करें। मुझे उम्मीद है हाथोंकि बेरी क्लिबकी बहुत बड़े दिन की है, मैं और भी सकता हूँ, हवाई प्रधान मंत्री इस काम की करें। मैं इनके चुर्नों की शक से नहीं 1920 के देखावत का रख हूँ। मैं कमीसी लम् 1920 का हूँ लेकिन 1920 के इनके चुर्नों की है।

[श्री नैचा सिंह]

रहा हूँ। जेम्स फिनले मिल 1914 में बन गई थी तभी से मैं इनके जुल्मों को देख रहा हूँ सारी जनता रोती थी और आज तक रो रही है। मुझे उम्मीद है श्रीमती इन्दिरा गांधी उनके झसुझों को पोंछ सकती हैं और वे उनके झत्के पोछेंगी।

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): The pathetic condition of the grower has been described by the MPs representing those areas. It has already been said that sugarcane is sold in Punjab, UP and other areas at Rs. 15.50 or even Rs. 16 per quintal. But the Agricultural Prices Commission has fixed the price differently. It has increased the price by one rupee over last year's making it Rs. 25.50 per quintal.

SHRI SHAHNAWAZ KHAN: That is the minimum.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA That is the minimum price.

I will tell you one thing. Ten quintals of sugarcane are needed to produce one quintal of sugar. If the minimum price is taken at Rs 10 per quintal, from Rs. 100 worth of sugarcane one quintal of sugar can be produced. Then add the cost of manufacture, machinery, workers, transport etc. How much will it come to? The maximum will be Rs. 200, not more. The cost of sugar will then be Rs 2 maximum.

Sugar is a commodity which is consumed in the country and it is also exportable. It is the task of this government to see that it is produced at low cost for consumers here and also for the export market. The basic thing needed is to minimise the cost of production by the adoption of improved, scientific methods. Till now the cost of production has never been taken into account. The price commission

decides the price arbitrarily and never considers the price to be paid to the present in terms of his production cost such as his labour, expenses incurred on watering, manure, the labour of his family members. All these things should be taken into account and the peasant should be paid a remunerative price so that he may be able to maintain himself and his family. If Government does not do that, it fails in its basic responsibility.

The next thing is that sugar should be sold at a proper price. There is no justification to compel our people to buy sugar in the outside market at Rs 4 a kilo. Our workers and employees should not be compelled to pay a high price for sugar which they need for their daily needs. The Government at least for its own prestige sake should come with a solution for this. Cuba is the biggest producer of sugar; it is largest national product of Cuba and they gain from the world market. When America boycotted Cuban sugar, Cuba began selling sugar to Soviet Russia and is meeting its national expenditure. What about our country? We have allowed mill-owners to loot not only the peasantry but also our people. Neither the government officers nor the price commission could do anything beyond the grip of the millowners. That is the tragedy in our country. In West Bengal, jute mill owners are getting richer and the jute growers remain poor. The world market for jute is in a crisis. Sugar is not in such a crisis in the world. Government has power and if it is willing it can save the peasantry; I demand that remunerative price must be paid to the peasant immediately. You are coming with so many ordinances, why is there no ordinance on this matter? Let the cost of production be decided by the government immediately. The first thing is to give that price to the peasantry. Taking that into account you must fix the consumers' price also.

The Government is committed to nationalise the industry; if you nationalise it you can develop the industry. What is the difficulty? Our Minister should tell us. Two years ago we discussed the price but nothing happened; similarly we may discuss and the Minister will reply and nothing will happen there is no value in this type of thing. You must do something and save the growers so that they can maintain their family. The agricultural workers in the villages may also be saved thus. Let the mill workers be enabled to maintain their families and let this reckless looting be stopped for ever. With these words, I conclude by remarks.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Chairman, Sir, the general opinion is that the sugarcane growers are not paid properly. Whenever we raise this point, they bring out some calculations. Small farmers do not know these calculations. Even though, the Agricultural Prices Commission has recommended a minimum price of Rs. 9.50 per quintal linked to a basic recovery of 85 per cent, the Government has fixed Rs. 8.50 as supporting price. They say that the Supreme Court has given this formula. Calculations are confusing to industry as well as to public. The poor agriculturists do not know even A, B, C, D of these calculations; they simply want a remunerative price.

The Agricultural Prices Commission is a one-man show. He has agreed that agriculturists must have Rs. 1000 as net income for an acre of sugarcane crop. We have no objection to that. Let them take the responsibility. Whatever we grow, we are ready to give on that basis.

Our cane production in 1950 was 5.70 million tonnes, in 1960-61—11.40 million tonnes, in 1968-69—12.83 million tonnes and in 1973-74, it was 2355 L.S.—6.

14.95 million tonnes. How it was developed? This is the only industry which can help small and marginal farmers who are 90 per cent of the cane-growers in the village. These poor people have no idea as to how much they are entitled to get. So, the Government has to come to their rescue.

They have created sugar levy fund in the name of consumers but they have not created cane-growing fund. We have no quarrel with them. The Government wanted to give some benefits to small farmers associations and small farmers development corporations but it is only an object and is not in operation.

In my State, one factory was started with Rs. 30 lakh capital and with second-hand machinery. They borrowed Rs. 80 lakhs from the growers but they did not give any share to them. They have earned a lot and now their capital is Rs. 3 crores. How have they developed? Now, this is not your money; this is people's money. They are getting loans upto 80 or 90 per cent. This is the only industry where there is no necessity of giving any compensation or anything. When you are not giving a proper compensation to small farmers with 10 or 15 acres because they are growing one or two crops, why should you give compensation to the sugar people? Nobody could say like that That is why we have now come forward We have the Emergency. We have to decide this vital issue now. It is vital because we are getting Rs. 450 crores by sugar exports alone. This is the only agricultural industry now which is earning foreign exchange. In 1960 we were importing sugar; we are now exporting. But the farmer is crying; why? Because he has got only lip sympathy, slogans and formulae with so many points. Let us all think alike—small farmers or other farmers; we are all one. Mr. Chairman, Sir, please give me at least 5 minutes.

MR. CHAIRMAN: No, no Mr. Suryanarayana, the Minister will reply at 6 O'clock I will accommodate 2 or 3 more speakers. Please conclude

SHRI K. SURYANARAYANA: I will request the Minister We can sit even till 7 O'clock It is a vital issue

जी बंधा सिंह मैं रचरामैया जी से प्रार्थना करता हूँ कि बहू चलने दें। सब लोगो को सुन ले। सूर्य नारायण जी एसी बात कह रहे हैं जिस को बहुत ध्यान से सुना जाना चाहियो मंत्री प्रार्थना है कि कल भी इस बहस को प्राप जारी रखें।

सजावति अहोबय यह हाउस के हाथ में है। हाउस ने डिहाइड किया है कि छ बजे मिनिस्टर को रिप्लाई करना है।

जी शिवनाथ सिंह हाउस ने नहीं किया है। इसके लिए बहुत बहुत कम दिया गया है। सब वाइडस प्रापके सामने प्रा जाने चाहिये। हाउस ने डिहाइड नहीं किया है। प्राधिक से प्राधिक सदस्यो को बोलने का मौका दिया जाता है तो कोई मुकसान नहीं होगा।

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I am not trying to stifle anybody I entirely agree that it is a vital issue Kindly bear in mind that the time allotted is 3 hours It will be over by 6.30 p.m. So long as it is agreed that we can go on till the Minister is on his legs and that nobody will speak tomorrow except the Minister I am ready to agree.
(Interruptions)

SHRI K. SURYANARAYANA: This is not only Andhra's problem. It is an all-India one. This crop is a seasonal one. Unless we crush within 24 hours, the farmer or miller cannot do anything Yesterday, in a casual manner, I met the Prime Minister. He told that we will consider the suggestions if they do not lead to an increase in the price of sugar for the consumer. We have no objection to it. We are in favour of the consumer. Let us make calculations that way. On the same basis we will accept either Rs 20 or 30 for a tonne of sugarcane. I have recently started a cooperative sugar factory. I have got it constructed it with Rs 3 crores. Plant and machinery alone cost Rs 150 lakhs.

As the hon. Member, Shri Patel, has stated, in the Deccan area the sugar factories have been penalised, because they have produced more efficiency. Efficiency is being penalised. Instead of encouraging efficiency, you are penalising efficiency. Please reconcile your policy on a rational basis. We do not want to quarrel because they are getting more. Let them get even Rs 500 for a tonne of levy sugar, we have no objection. If you want to equalise the consumer prices, why not equalise the cane price also?

If there is the problem of standing surety for sugar cooperatives, why should the farmers be made to suffer? We do not want to hear of any policy. We want to hear something practical. I would request the hon. Minister to bear in mind that this is included in the 20-point programme. It is also part of the Emergency. So, they should give due consideration to this.

Cooperative factories are part and parcel of the sugar industry sponsored by the Government. We are cooperating with the Government.

Now there are four financial agencies to assist the sugar industry and

there is no competition between them. So, the cooperatives are not getting enough resources, unlike the private industry. If you do not encourage the cooperatives, what will happen is that the entire sugar industry will come into the private sector. If you want to prevent that, then you have to appreciate the genuine difficulties of the sugar cooperatives and try to help them. You should appoint a committee to go into the entire problem. Now that we are passing through a period of Emergency, you should try to satisfy at least the small sugarcane growers for whom we are anxious.

17.48 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA—
Contd.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

- (i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 4th February, 1976, agreed without any amendment to the Prevention of Publication of Objectionable Matter Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 29th January, 1976."
- (ii) "In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th February, 1976, agreed to the following amendment made by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd

February, 1976, in the Payment of Wages (Amendment) Bill, 1976:—

Enacting Formula

That at page 1, line 1,—

for "Twenty-sixth"

substitute "Twenty-seventh".

- (iii) I am directed to inform the Lok Sabha that the Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill, 1976, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd February, 1976, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 5th February, 1976, with the following amendments:—

Clause 2

1. That at page 3, for lines 3 to 10, the following be substituted, namely:—

(g) "land appurtenant", in relation to any building, means—

- (i) in an area where there are building regulations, the minimum extent of land required under such regulations to be kept as open space for the enjoyment of such building, which in no case shall exceed five hundred square metres; or
- (ii) in an area where there are no building regulations, an extent of five hundred square metres contiguous to the land occupied by such building.

and includes, in the case of any building constructed before the appointed day with a dwelling unit therein, an additional extent not exceeding five hundred square metres of land, if any, contiguous to the minimum extent referred to in sub-clause (i) or the extent referred to in sub-clause (ii), as the case may be;